

पत्रांक सं०-२५/पं०सं०भ०-०९-१९/२०२४/७८०१/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय : Panchayat Inspection Bihar Mobile Application के संबंध में। पटना, दिनांक २०/६/२०२५

प्रसंग : विभागीय पत्रांक-७१०३ दिनांक-०४.०६.२०२५
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायत सरकार भवन निर्माण के निरीक्षण हेतु निदेश निर्गत है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि NIC, Bihar द्वारा Panchayat Inspection Bihar Mobile Application विकसित किया गया है। इस Application के माध्यम से पंचायत सरकार भवन निर्माण का अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाना है एवं निरीक्षणोपरान्त सूचनाओं की प्रविष्टि भी इस Application में किया जायेगा। उक्त Application गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण का अनुश्रवण एवं निरीक्षण उक्त Application के माध्यम से करते हुए सूचनाओं की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय। Application को Download करने तथा उसके उपयोग करने में आ रहे समस्याओं के निराकरण हेतु श्री अजय कुमार, State Informatic Officer, NIC, बिहार, पटना (मो०-९८१८८३०७९९) से सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक-२५०/पं०सं०भ०-०९-१९/२०२४/७८०१/पं०रा० पटना, दिनांक २०/६/२०२५
प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि इस Application पर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को भी इस Application पर निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रविष्टि करने हेतु अपने स्तर से निदेश देना चाहेंगे।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक-२५०/पं०सं०भ०-०९-१९/२०२४/७८०१/पं०रा० पटना, दिनांक २०/६/२०२५
प्रतिलिपि:- आई टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

117

पत्रांक-2प0/पं0स0भ0-09-04/2023(खण्ड)/7103/पं0रा0

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

सभी उप विकास आयुक्त-सह
—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक 04/6/2025

विषय: पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य सरकार राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कराये जाने हेतु कृत संकल्पित है। इस क्रम में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण विभाग एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में 2000 पंचायत सरकार भवन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, 2615 पंचायत सरकार भवन, भवन निर्माण विभाग एवं 622 पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जा रहा है। इसमें से अबतक मात्र 1635 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने के एक लम्बी अवधि के उपरान्त मात्र 1635 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होना इस बात का परिचायक है कि निर्माण कार्य की गति अत्यन्त धीमी है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ी राशि का व्यय किया जा रहा है, अतः इस बात को सुनिश्चित किये जाने की नितांत आवश्यकता है कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में तीव्रता लाने एवं इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर गहन समीक्षा एवं सूक्ष्म निरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के आलोक में विभाग स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:—

1. जिला पदाधिकारी संबंधित एजेंसी के जिला स्तरीय अभियंता एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ पाक्षिक समीक्षा बैठक करेंगे। आवश्यकता अनुसार समीक्षा बैठक में अंचलाधिकारी को भी शामिल करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में किसी एक पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण का उद्देश्य निर्माण की गति में तीव्रता लाया जाना एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना है। निरीक्षण की सूचना संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को पूर्व में ही दिया जाय ताकि निरीक्षण के समय संबंधित अभियंता स्थल पर उपस्थित रहे।

क०पृ०उ०.....

2. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद प्रत्येक माह जिला अभियंता के साथ कम से कम एक पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के उपरांत गुणवत्ता एवं निर्माण कार्य की गति से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के साथ एक प्रति विभाग को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। निरीक्षण की सूचना संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को पूर्व में ही दिया जाय ताकि निरीक्षण के समय संबंधित अभियंता स्थल पर उपस्थित रहे।

3. जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण मुख्यतः निर्माण की गति एवं गुणवत्ता को केन्द्र में रख कर किया जायेगा। निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के साथ-साथ विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। निरीक्षण की सूचना संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को पूर्व में ही दिया जाय ताकि निरीक्षण के समय संबंधित अभियंता स्थल पर उपस्थित रहे।

अतः अनुरोध है उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि विभाग स्तर से इस संबंध में समूचित आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक:- 2प/पं०स०भ०/09-04/2023(खण्ड) 7103 पं०रा०पटना, दिनांक 04/6/2025
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक:- 2प/पं०स०भ०/09-04/2023(खण्ड) 7103 पं०रा०पटना, दिनांक 04/6/2025
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक:- 2प/पं०स०भ०/09-04/2023(खण्ड) 7103 पं०रा०पटना, दिनांक 04/6/2025
प्रतिलिपि:- आई टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव